न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–704/2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

विजय जकारियस तिड़ू...............................आवेदक/विक्रेता } प्रथम पक्ष

हिरामनी भेंगरा..क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार..द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
02.02.2024	**आदेश**	

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती विजय जकारियस तिड़ू पिता/पति स्व0 पतरस तिड़ू ग्राम–पाण्डू, पो0–विचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:–

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
पाण्डू	248	38	1793	0.07

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती विजय जकारियस तिड़ू पिता/पति स्व0 पतरस तिड़ू ग्राम–पाण्डू, पो0–विचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को मकान निर्माण एवं स्वास्थ्य ईलाज हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती हिरामनी भेंगरा पिता/पति सबन भेंगरा ग्राम–पाण्डु, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को बिक्री करना चाहते/चाहती है।

आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान तथा लगान की रसीद सं0 0474260514 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की बिक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 26 दिनांक 20.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम खीरीशतानन्द पाहन है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के पोता हैं। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 37 पर जमावंदी दर्ज है।

(5)

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण एवं स्वास्थ्य ईलाज कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, मुरहू के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 717 दिनांक 16.12.2023 के साथ अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCST/2023/299634 दिनांक 17.10.2023 एवं आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHLRCO/2023/611798 दिनांक 25.10.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 26 दिनांक 20.01.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती विजय जकारियस तिड़ू पिता/पति स्व0 पतरस तिड़ू ग्राम–पाण्डू, पो0–विचना, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती हिरामनी भेंगरा पिता/पति सबन भेंगरा ग्राम–पाण्डु, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी के साथ ग्राम पाण्डु के खाता सं0 38, खेसरा संख्या 1793, कुल रकबा 0.07 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

07/02/24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–704 / 2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

विजय जकारियस तिड़ू............................आवेदक / विक्रेता } प्रथम पक्ष

हिरामनी भेंगरा...क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार..द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
23.03.2024	**संशोधित आदेश** आवेदक विजय जकारियस तिड़ू पिता स्व0 पतरस तिड़ू के नाम में त्रुटि प्रकाश में आने के उपरान्त पूर्व में आवेदक के नाम विजय जकारिया तिड़ू के स्थान पर आवेदक के नाम में त्रुटि का निराकरण करते हुए विजय जकारियस तिड़ू किया जाता है। प्रस्तुत अनुमति वाद में दिनांक 02.02.2024 को पारित आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। आदेश के शेष अंश यथावत रहेगें। लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी। 23/03/24 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी।	

Digitally signed by Emart
Date: 2024.04.02 12:05:41 +05:30
Location: 192.168.1.104